WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052023-245548
CG-DL-E-01052023-245548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2023/वैशाख 11, 1945
No. 264] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2023/VAISAKHA 11, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 334(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 53 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

'53क. छूट - नियम 53 में अंतर्विष्ट कोई भी बात वित्तीय सेवा प्रदान करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी इकाई पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय सेवा" का वही अर्थ होगा जो इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 3 के उप-धारा (1) खंड (ङ) में दिया गया है और "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उस अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (1) खंड (छ) में दिया गया किया गया है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

[फा. सं. एफ-20019/3/2019-एसईजेड-भाग(1)]

एल सत्या श्रीनिवास, अपर सचिव

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 125 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2023 द्वारा, संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R. 334(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, for rule 53A, the following rule shall be substituted, namely: -

'53A. Exemption.- Nothing contained in rule 53 shall apply to a Unit setup in an International Financial Service Centre providing financial service and regulated by the International Financial Services Centres Authority.

Explanation. - For the purpose of this rule, "financial service" shall have the meaning as assigned to it in clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and "International Financial Service Centre" shall have the meaning as assigned to it in clause (g) of sub-section (1) section 3 of that Act.'.

[F. No. F-20019/3/2019-SEZ-Part(1)]

L SATYA SRINIVAS, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended vide notification number G.S.R. 125(E), dated the 23rd February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.